एक नजर में

निश्शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आज

बड़नगर : गीता भवन न्यास समिति बड़नगर के तत्वाधान में निश्शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर गुरुवार को मुरलीधर कृपा हास्पिटल मक्सी के सौजन्य से आयोजित किया जाएगा। शिविर में मक्सी से पधारे चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया जाएगा, साथ ही होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर में डा. प्रवेश सोनी उपचार करेंगे। जानकारी संस्था अध्यक्ष हरिकिशन मेलवाणी ने दी।

गणेश उत्सव समिति का किया गठन

बड़नगर : सुधालाप भैरव मंदिर लखारसेरी द्वारा वार्षिक सभा रजक समाज धर्मशाला पर आयोजित की गई। मुख्य अतिथि सुकमाल जैन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, विशेष अतिथि डा. दिलीप गुप्ता थे। अध्यक्षता सतीश नीमा ने की। इस अवसर पर गणेश उत्सव समिति का गठन सर्वानुमति से किया गया। समिति अध्यक्ष सत्यनारायण सरसोदिया, उपाध्यक्ष शैलेन्द्र तिवारी, कोषाध्यक्ष कपिल सरसोदिया, सचिव दिनेश निंबोला, सहसचिव गोपाल शर्मा मनोनीत किए गए। जानकारी सुरेश राठौड़ ने दी।

नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी में रिया का चयन

रिया राठी

महिदपुर : महिदपुर के विजय बाला राठी की बेटी रिया (दिव्या) राठी का चयन नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी में हुआ है। देशभर से कुल 10 प्रतिभाओं का चयन हुआ, जिसमें रिया ने द्वितीय रैंक प्राप्त की।

विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देकर विकल्प की मांग की

विरोध प्रदर्शन ● रेलवे बायपास पटरी डाले जाने को लेकर स्थिति अस्पष्ट

नईदुनिया न्यूज, नागदा जंक्शन : दिल्ली-मुंबई चार लाइन पटरी डाले जाने को लेकर शहर के बायपास से पटरी डाली जाने के लिए हुए दो सर्वे के बाद दो संस्थाओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। रेलवे विभाग द्वारा उनकी गाइडलाइन व नीति स्पष्ट नहीं करने पर जनप्रतिनिधियों व नेता भी धर्मसंकट में पड़ गए हैं।

रेलवे द्वारा शहर के बायपास से तीसरी व चौथी पटरी लाइन डालने को लेकर पहले सर्वे बनबनी से उमरना का कराया। इसमें 38 लोगों की भूमि अधिग्रहण होने की सूची जारी हुई है। इनके द्वारा विरोध करने पर 800 मीटर दूर कृषि उपज मंडी समिति के गेट के पास दूसरा सर्वे प्रारंभ करा दिया। इसमें लगभग 200 किसानों, 50 ईंट-भट्टा व कई व्यापारियों की भूमि चपेट में आएगी। 38 लोगों के विरोध के आगे रेलवे झुका तो दूसरे सर्वे वाले तो बड़ी संख्या में मैदान में आकर आंदोलन करने लगे हैं। बुधवार को विधायक व भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी ज्ञापन देकर अन्य विकल्प की मांग की। नेताओं के आगे भी धर्मसंकट खड़ा हो गया है। पहला विरोध हुआ, उसमें विधायक ने स्वयं आगेवानी करते हुए नपा परिषद की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास कराया। इतना ही नहीं डीआरएम को जाकर प्रस्ताव की कापी भी नपाध्यक्ष पति, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को साथ ले जाकर सौंपी। कर्नाटक के राज्यपाल डा. गेहलोत को भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने भी उनके पक्ष में रेलमंत्री को पत्र लिखा। दूसरे सर्वे के बाद प्रभावितों ने भी विरोध करते हुए सभी को ज्ञापन सौंपा। नेता कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी रेलवे को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए, किस गाइडलाइन के तहत बायपास पटरी डाली जाएगी। अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। इस संबंध में पीआरओ मुकेश कुमार कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मंगलवार को ईंट-भट्टा संचालकों द्वारा एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में पुरानी कोटाफाटक रेलवे लाइन से बायपास पटरी निकालने की सलाह दे दी। इसमें 3000 लोगों के मकान चपेट में आ रहे हैं। उनमें भी दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है।

भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ को ज्ञापन सौंपते हुए। ● नईदुनिया

इनका कहना

भाटीसुड़ा से रोहलखुर्द तक डाली जा रही रेल पटरी के दावा आपत्तियों के निराकरण को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक हुई है। 24 अगस्त के बाद दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।

-रंजना पाटीदार, एसडीएम नागदा

भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे व राजस्व विभाग की हुई बैठक

-रोहलखुर्द से भाटीसुड़ा डाली जाने वाली बायपास रेल पटरी

नागदा जंक्शन। भाटीसुड़ा से रोहलखुर्द डाली जाने वाली बायपास रेलवे पटरी के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। 24 अगस्त तक एसडीएम कार्यालय में दावा आपत्ति ली जाएगी। अभी तक लगभग 35 से अधिक आपत्तियां आई है। रेलवे व राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दावा आपत्तियों का निराकरण किस गाइडलाइन से किया जाए, इस पर चर्चा हुई। रेलवे विभाग द्वारा पटरी लाइन का विस्तार किया जाना है। भोपाल-इंदौर-उज्जैन से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का इंजन नागदा रेलवे स्टेशन पर बदला जाता है। इसमें समय खराब होने को लेकर भाटीसुड़ा रेलवे स्टेशन से सीधे रोहलखुर्द होते हुए दिल्ली के लिए रेल निकालने को लेकर बायपास पटरी डाली जाना है। सर्वे होकर भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। किसानों की भूमि अधिग्रहण होना है। इसको लेकर दावा आपत्ति एसडीएम कार्यालय में 24 अगस्त तक ली जाएगी। इसके बाद दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे विभाग के अधिकारी व राजस्व अधिकारियों की एक बैठक मंगलवार को हुई।

इसमें दावा आपत्तियों के निराकरण को लेकर चर्चा हुई। तय हुआ कि रिकार्डेड आपत्ति होगी तो उसे रिकार्ड के माध्यम से व मौके पर भी जाने जैसी स्थिति होगी तो वहां जाकर भी निराकरण किया जाएगा। मंगलवार तक लगभग 35 आपत्तियां आ गई हैं। चार दिन शेष बचे हैं, इसमें भी और आपत्तियां आ सकती हैं।

सांसद ने की तीन शेड बनाने की घोषणा

नागदा जंक्शन : गांव भीलसुड़ा गोपाल गोशाला में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया ने सांसद निधि से तीन शेड बनाने की घोषणा की। इस पर कार्यक्रम के आयोजक शहनवाज उद्दीन (छन्नू भैया) ने सांसद फिरोजिया का सम्मान किया।

फिरोजिया ने गो सेवा को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने सांसद निधि से तीन शेड निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गोमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की भी मांग की। इस पर शहनवाज उद्दीन ने सांसद फिरोजिया का पगड़ी पहनाकर शाल श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। अध्यक्षता ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के महामंडलेश्वर महावीरनाथ ने की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जितेंद्र गेहलोत, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह पंवार, युवराजसिंह राणावत आदि उपस्थित थे।

अखंड भारत के संकल्प को लेकर निकाली मशाल यात्रा

मशाल यात्रा में सम्मिलित कार्यकर्ता। ● नईदुनिया

तराना : अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की महिला परिषद ओजस्विनी मालवा प्रांत द्वारा नगर में मशाल यात्रा निकाली गई।

अतिथि परिषद प्रांताध्यक्ष महंत ओम भारती, महामंत्री संजय यादव, बजरंग दल प्रांताध्यक्ष अनिल सिंगार, मुकेश पाटीदार की उपस्थिति में मशाल यात्रा तांतला मार्ग से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर महालोक डिपो पहुंची, जहां महादेव की आरती कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। समापन पर ओजस्विनी बहनों ने अखंड भारत का संकल्प किया। जानकारी चरणसिंह गुर्जर ने दी।

सात दिवसीय श्रीशिव महापुराण का समापन

नागदा जंक्शन : एक निजी रिसोर्ट में चल रही सात दिवसीय श्री शिवमहापुराण कथा का समापन बुधवार को हुआ।

कथावाचक संजय शर्मा गौतम ने कथा में शिवमहापुराण का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र का जाप करने से अपने सारे दुख दूर होते हैं। कथा में मुख्य अतिथि केशव रघुवंशी, रमेशचंद्र चंदेल, सुशीला पाल, कमल मालवीय, कैलाश चौहान आदि उपस्थित थे।

श्री शिवमहापुराण कथा में उपस्थित श्रद्धालु। ● नईदुनिया

जांच रिपोर्ट नहीं देने पर सीएमओ ने दिया नोटिस

एक लाख आठ हजार रुपये में बेचा 30 हजार का टिन शेड

नईदुनिया न्यूज, नागदा जंक्शन : पुराने बस स्टैंड स्थित बेशकीमती भूमि पर एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि द्वारा 1 लाख 8 हजार रुपये लेकर स्थायी टिन शेड बनाकर देने के मामले में सीएमओ द्वारा जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश को भी टाइपकीपरों ने नजरअंदाज किया। उन्हें नोटिस दिया। रिपोर्ट आने के बाद बना ढांचा हटाया जाएगा।

पुराना बस स्टैंड के समीप स्थित बेशकीमती भूमि पर नौ दुकानदारों को नपा द्वारा लीज पर भूमि दी गई थी। उस स्थान पर नाले का निर्माण करने के लिए उन गुमटियों को हटाया गया था। नपा के जनप्रतिनिधि के पति द्वारा उन दुकानदारों को पुरानी गुमटी नहीं लगाने दी। बिना नपा अधिकारियों की जानकारी ऊपर ही ऊपर 30 हजार रु. कीमत के गुमटियों के टिन शेड दुकानदारों को 1 लाख 8 हजार रुपये लेकर दी। इतना ही नहीं, उसके पास रिक्त पड़ी भूमि पर अतिक्रमण करवाकर ऐसी ही पांच दुकानें टीन शेड की बनाकर बिना नपा अधिकारी की सहमति के बेचने का प्रयास किया। इसमें पांच लोगों से 60-60 हजार रुपये एडवांस भी ले लिए। मामला नईदुनिया द्वारा प्रकाशित करने के बाद नपा सीएमओ सतीश मटसेनिया ने निर्माण किए जा रहे शेड का काम रुकवा दिया। अतिक्रमण के टीन शेड का निर्माण कौन कर रहा है, इसको लेकर टाइपकीपरों का एक दल गठित कर दो दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। आदेश की सदस्यों ने अवहेलना करते हुए 15 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी। मंगलवार को सीएमओ ने तीनों सदस्यों को नोटिस देने के आदेश जारी किए। रिपोर्ट आने के बाद बनाए गए लोहे के पाइप का ढांचा नपा द्वारा हटाया जाएगा।

पुराने बस स्टैंड में बन रहा था यह टीन शेड। ● नईदुनिया

इनका कहना

अतिक्रमण कौन कर रहा है, इसकी जांच के लिए दल गठित कर दो दिन में रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए थे। नहीं देने पर सदस्यों को नोटिस जारी किया है।

-सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नपा नागदा।

कबड्डी में जीता कांस्य पदक

राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी। ● नईदुनिया

महिदपुर : एमपीएस एकेडमी की कबड्डी टीम ने सीबीएसई क्लस्टर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन श्री सांदीपनि इंटरनेशनल स्कूल, चंद्रावतीगंज में किया गया। टीम में शिवराज सिंह सोलंकी, युवराज सिंह, भविष्य शर्मा, आयुष, नितेश, अमन पारोलिया, शिवराज सिंह व कृष्णा प्रजापत शामिल रहे। कोच दीपक कुमावत रहे।

गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई

महिदपुर रोड : बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक श्रीराम हनुमान मंदिर में बुधवार को गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी श्याम गुलाटी ने संबोधित किया। तुलसी जयंती पर उनके ग्रंथ रामचरितमानस की पूजा अर्चना की।

पूजन संजय परमार ने किया। आरती मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम भट्ट ने करवाई। इस दौरान नारायण सिंह चौहान, राकेश पंड्या, सतीश मंडोवरा, बद्रीलाल शर्मा आदि उपस्थित थे।

बाजार | शकर के भाव में करीब 15 रुपये की तेजी आई

गरीबों की थाली से अब मिठास गायब

नईदुनिया न्यूज, खाचरौद : गरीबों की थाली से अब मिठास गायब हो गई। सुबह की चाय से लेकर मिठाई में घुलकर मुंह मीठा करने वाली शकर के भाव में वृद्धि से आमजनों का बजट अब बिगड़ने वाला है। शकर के भाव में हुई वृद्धि का असर सबसे ज्यादा गरीब परिवार पर पड़ेगा।

लगभग पांच साल में पहली बार शकर के भाव में करीब 15 रुपये की तेजी आई है।

भाव में तेजी का कारण गन्ने से एथेनाल बनना बताया जा रहा है। जिसके कारण पहले जो फैक्ट्रियां शकर बनाती थी, अब वह गन्ने से एथेनाल बना रही है, जिससे उत्पादन में बड़ी मात्रा में कमी आ रही है।

शकर के भाव बढ़ने के कारण शकर से बनी मिठाइयां, चाय व अन्य वस्तुओं के भाव भी बढ़ेंगे, साथ ही इन सबका असर गरीबों एवं आमजनों की थालियों पर पड़ेगा।

/ यहां बता दें जून माह में शकर के थोक भाव 42-43 रुपये किलो थे। खेरची भाव 44-45 रुपये। अब शक्कर के भाव में वृद्धि होने के बाद शकर के भाव 60 रुपये किलो हो चले हैं। थोक किराना संचालकों के अनुसार भाव में और अधिक तेजी की आशंका बनी हुई है।

भाव बढ़ने से त्योहार की चमक फीकी :रक्षाबंधन पर्व के नजदीक आने के साथ ही शकर के भाव में ऐतिहासिक तेजी से शकर से बनने वाली अन्य मिठाइयों सहित कई वस्तुओं के भाव में वृद्धि होने के आसार भी अधिक बने हुए हैं।

Bank of India
रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आस्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय प्लॉट नंबर 9-आरसी, स्कीम नंबर 134, एम. आर-10 इंदौर (म.प्र.) 452010
फोन नम्बर 0731-2445122, 212
Email: arb.indore@bankofindia.bank.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 25.09.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 25.09.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा : एआरबी	**मेसर्स श्री गीता टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड,** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)** **श्री अनुरोध मित्तल पिता रामधारी मित्तल (मैनेजिंग डायरेक्टर/जमानतदार)** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता:-** अंबिका सदन, 19/20, विजय नगर, वार्ड नंबर 42, रुईकर वार्ड, लालबाग रोड, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)** **श्री अनुराग मित्तल पिता रामधारी मित्तल (डायरेक्टर/जमानतदार)** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता:-** अंबिका सदन, 19/20, विजय नगर, वार्ड नंबर 42, रुईकर वार्ड, लालबाग रोड, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)** **श्रीमती ज्योति मित्तल पति अनुरोध मित्तल (डायरेक्टर/जमानतदार)** **पता :-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता :-** अंबिका सदन, 19/20, विजय नगर, वार्ड नंबर 42, रुइकर वार्ड, लालबाग रोड, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश (450331)**(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)** श्री रामधारी मित्तल पिता श्रीनिवास तुलसीराम (जमानतदार) **पता :-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता :-** अंबिका सदन, 19/20, विजय नगर, वार्ड नंबर 42, रुइकर वार्ड, लालबाग रोड, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश (450331) **(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)** **श्रीमती गीता देवी मित्तल पति रामधारी मित्तल (जमानतदार)** **पता :-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता :-** अंबिका सदन, 19/20, विजय नगर, वार्ड नंबर 42, रुईकर वार्ड, लालबाग रोड, बुरहानपुर मध्य प्रदेश (450331) **श्रीमती अनिता मित्तल पति अनुराग मित्तल (जमानतदार)** **पता :-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता :-** अंबिका सदन, 19/20, विजय नगर, वार्ड नंबर 42, रुइकर वार्ड, लालबाग रोड, बुरहानपुर मध्य प्रदेश (450331). **श्री मनीष बचुका पिता बसंत कुमार बचुका (जमानतदार)** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता:-** न्यू राधा किशन प्लॉट, अकोला महाराष्ट्र (444001) **(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)** **श्रीमती पूनम दीपू तिलानी (जमानतदार)** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता:-** मकान नंबर 26, गुरु नानक वार्ड, मेघन कैंप, सिंधी कॉलोनी, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **श्रीमती दीप्ति संदीप तिलानी (जमानतदार)** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **पता:-** मकान नंबर 26, गुरु नानक वार्ड, मेघन कैंप, सिंधी कॉलोनी, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **मैसर्स श्री गीता इंफ्रा (जमानतदार)** **पता:-** आलमगंज, एमागिर्द, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (450331) **(यह नोटिस केवल श्रीमती गीता देवी मित्तल, श्रीमती अनीता मित्तल, श्रीमती पूनम टिल्नानी और श्रीमती दीप्ति टिल्नानी (सभी पर्सनल जमानतदार हैं) की संपत्ति की बिक्री के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है।)**	**प्रॉपर्टी नंबर 1:** परिवर्तित व्यावसायिक भूमि (गोदाम बनाने के लिए), **संपत्ति मालिकः** श्रीमती गीता देवी मित्तल पति रामधारी मित्तल, प्रॉपर्टी पीएच नंबर 05के, सर्वे नंबर 107/2, गाँव-राहीपुरा, तहसील और जिला बुरहानपुर म.प्र.-450331, क्षेत्रफल 1.66 हेक्टेयर **प्रॉपर्टी की चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार): पूर्व:** गोहा रास्ता और नाला, **पश्चिम:** श्री अनिल मनमोहनलाल, श्री पारिख की जमीन और सर्वे नंबर 107/1, **उत्तर:** गोहा रास्ता और नाला, **दक्षिण:** मालिक की भूमि **प्रॉपर्टी नंबर 2:** परिवर्तित व्यावसायिक भूमि (गोदाम बनाने के लिए), **संपत्ति मालिकः** श्रीमती गीता देवी मित्तल पति रामधारी मित्तल, प्रॉपर्टी पीएच नंबर 05के, सर्वे नंबर 107/1, गाँव-राहीपुरा, तहसील और जिला बुरहानपुर म.प्र.-450331, क्षेत्रफल 0.64 हेक्टेयर **प्रॉपर्टी की चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार): पूर्व:** सर्वे नंबर 107/2 और उसके बाद गोहा रास्ता और नाला, **पश्चिम:** आम रोड, **उत्तर:** प्रतीक वालों की खेती की भूमि और फिर गोहा रास्ता और नाला, **दक्षिण:** मिस्टर पारिख की खेती की भूमि **प्रॉपर्टी नंबर 3:** परिवर्तित औद्योगिक भूमि, **संपत्ति मालिकः** श्रीमती गीता देवी मित्तल पति रामधारी मित्तल, पीएच नंबर 05के, सर्वे नंबर 107/8 (एसवाई नंबर 107/2 का पुराना दक्षिणी भाग), ग्राम-राहीपुरा, तहसील और जिला: - बुरहानपुर म.प्र. - 450331, 1.94 हेक्टेयर (208827 वर्ग फीट), **प्रॉपर्टी की चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार): पूर्व:** अब्दुल गनी अब्दुल समद की कृषि भूमि, नाला और सरकारी भूमि, **पश्चिम:** सर्वे नंबर 107/1, श्री नंदकिशोर चौकसे की भूमि, **उत्तर:** विकेता का शेष भाग, **दक्षिण:** घनश्याम गोविंदा और भावदू सांडू की कृषि भूमि **प्रॉपर्टी नंबर 4:** परिवर्तित व्यावसायिक भूमि (गोदाम बनाने के लिए), **संपत्ति मालिकः** श्रीमती गीता देवी मित्तल पति रामधारी मित्तल, प्रॉपर्टी पीएच नंबर 05के, सर्वे नंबर 107/7 (एस वाय नम्बर 107/1 का पुराना दक्षिणी भाग), गाँव-राहीपुरा, तहसील और जिला बुरहानपुर म.प्र.-450331, क्षेत्रफल 2.31 हेक्टेयर, **प्रॉपर्टी की चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार): पूर्व:** श्री मुकेश दिगंबरदास की भूमि, सर्वे नंबर 107/2, **पश्चिम:** आम रास्ता, **उत्तर:** विकेता का बचा हुआ हिस्सा, **दक्षिण:** श्री रमेश कपाड़िया की भूमि, **प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 की संयुक्त चतुर्सीमा: पूर्व:** अब्दुल गनी अब्दुल समद की कृषि भूमि, नाला और सरकारी भूमि, **पश्चिम:** आम रास्ता, **उत्तर:** सर्वे नंबर 107/9 और 107/2 का बचा हुआ हिस्सा, **दक्षिण:** सर्वे नंबर 107/3, 106, 102/1 और 103/1 **प्रॉपर्टी नंबर 5:** परिवर्तित व्यावसायिक भूमि (गोदाम बनाने के लिए), **संपत्ति मालिकः** श्रीमती अनीता मित्तल पति अनुराग मित्तल, पीएच नंबर 05, बंदोबस्त नंबर 178, सर्वे नंबर 124/1 (सर्वे नंबर 124 का उत्तरी भाग), गांव- राहीपुरा, तहसील और जिला:- बुरहानपुर म.प्र.-450331, क्षेत्राफल 3.97 हेक्टेयर, **चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार): पूर्व:** श्री अर्जुन सखाराम एवं श्री प्रभाकर नामदेव की कृषि भूमि, **पश्चिम:** गोहा रास्ता कच्चा, **उत्तर:** श्री अनिल काशीदास, श्री बाबूलाल सीताराम एवं श्री नारायण धन्नालाल की कृषि भूमि, **दक्षिण:** उसी सर्वे नंबर का बाकी हिस्सा श्रीमती ज्योति पति अनुरोध मित्तल को बेचा गया, फिर श्री अनिल सालिग्राम दुबे की कृषि भूमि **प्रॉपर्टी नंबर 6:** आवासीय भूमि, **संपत्ति मालिकः** श्रीमती पूनम तिल्नानी और श्रीमती दीप्ति तिलानी, खसरा नम्बर 342/12 (सर्वे नम्बर 342/7 का पुराना दक्षिणी भाग), लालबाग रोड, तहसील और जिला: - बुरहानपुर, म.प्र. 450331, क्षेत्राफल 7316 वर्गफुट या 0.068 हेक्टेयर, **चतुर्सीमा (सेल डीड के अनुसार) पूर्व:** श्रीमती गुलाबबाई पति श्री किशोर मोर सर्वे की भूमि नम्बर 343, **पश्चिम:** श्री माधवबिहारी नानगराम अग्रवाल संपत्ति सर्वे नम्बर 342/5, **उत्तर:** शेष भूमि 0.116 हेक्टेयर श्री रामधारी श्रीनिवास मित्तल को विक्रय की गई। फिर पंडारोल नाला के बाद, **दक्षिण:** मालिक की भूमि का डायवर्सन फिर भूमि सर्वे नंबर 342/6 श्री वासुदेवजी चौधरी और आम रास्ता	(बैंक ऑफ इंडिया की देय राशि) 11.09.2020 ₹ **44,24,16,487.00** + ब्याज एवं अन्य खर्च + (बैंक ऑफ बड़ौदा की देय राशि) 11.09.2020 ₹ **5,62,65,687.00** + ब्याज एवं अन्य खर्च	28.12.2020 एवं 29.12.2020 सांकेतिक	₹ **141.10** लाख	₹ **14.11** लाख
					₹ **108.70** लाख	₹ **10.87** लाख
					₹ **459.33** लाख	₹ **45.94** लाख
					₹ **286.85** लाख	₹ **28.69** लाख
					₹ **120.45** लाख	₹ **12.05** लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 19.08.2026, स्थानः इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इंडिया